

## अध्याय XV : संघ शासित क्षेत्र

### संघ शासित क्षेत्र - अंडमान व निकोबार द्वीप प्रशासन

#### 15.1 संग्रहित अग्रिम के प्रदान करने में संहिता प्रावधानों का उल्लंघन

अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य में संग्रहित अग्रिम प्रदान करने में संहिता प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹0.66 करोड़ तक का अनुचित वित्तीय फायदा हुआ।

भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 'अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से बारातांग तक के वैकल्पिक समुद्री मार्ग के विकास', की एक परियोजना, की स्वीकृति (नवम्बर 2014) दी, जिसको अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। बारातांग में नौवहन चैनल का निकर्षण कार्य के हिस्से में शामिल था। एएलएचडब्ल्यू ने (जनवरी 2015) यह कार्य ₹26.10 करोड़ के लिए नामांकन आधार पर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) को दिया। निकर्षक के पहुँचने पर संग्रहण प्रभारों के भुगतान हेतु ₹2.00 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान इसमें शामिल था। यद्यपि अनुबंध में संग्रहण अग्रिम के भुगतान हेतु कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था, डीसीआई के अनुरोध पर, एएलएचडब्ल्यू ने संग्रहण अग्रिम के प्रति ₹10.00 करोड़ (संविदा मूल्य का 38.31 प्रतिशत) के प्रावधान का अनुबंध में संशोधन (सितम्बर 2015) किया। तदनुसार, एएलएचडब्ल्यू ने डीसीआई को ₹8.00 करोड़ का संग्रहित अग्रिम जारी किया। निकर्षक कार्य जून 2016 में शुरू किया और ₹23.20 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2016 में पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य उजागर हुईं:

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका जो एएलएचडब्ल्यू पर लागू है, संग्रहित अग्रिम को ठेके की राशि का 10 प्रतिशत तक (इस मामले में ₹2.61 करोड़) सीमित करता है। फलस्वरूप, ₹10 करोड़ का प्राधिकरण अनुमेय सीमा से ₹7.39 करोड़ अधिक हुआ था तथा अंततः डीसीआई को ₹5.39 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता मिली।

सीपीडब्ल्यूडी नियमपुस्तिका यह भी कहती है कि संग्रहित अग्रिम उसके समायोजन तक 10 प्रतिशत के साधारण ब्याज को आकर्षित करेगा। एएलएचडब्ल्यू के अनुबंध ने इस पर ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया था,

जिसके फलस्वरूप डीसीआई को बिना ब्याज के ₹0.66 करोड़<sup>1</sup> का अतिरिक्त अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

मामला जून 2018 में पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित था (मार्च 2020)।

## 15.2 संरक्षात्मक समुद्री दीवार का निर्माण

अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग ने निर्माण संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपेक्षित सभी सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जिसे आखिरकार मामले पर फिलप फ्लोप के पश्चात् रोक दिया गया था।

इससे समुद्री दीवार के निर्माण में देरी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में किनारे की सुरक्षा की लागत बढ़ी तथा इसका परिणाम ₹1.18 करोड़ के व्यर्थ व्यय में भी हुआ क्योंकि अपूर्ण निर्माण बह गए। कार्य को ₹30.36 करोड़ की बढ़ी हुई लागत के साथ फिर से संस्वीकृत किया गया है। प्रभावित क्षेत्र के निवास सुनामी के 15 वर्षों के पश्चात् भी असुरक्षित बने रहे।

2004 के भूकम्प तथा सुनामी का परिणाम भूमि-अपरदन तथा निकोबार के मस एवं अन्य क्षेत्रों में समुद्री स्तर में वृद्धि में हुआ। इसलिए, जनजातीय परिषद ने किनारे की सुरक्षा हेतु एक समुद्री दीवार के निर्माण के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) से संपर्क किया।

प्रशासन ने सर्वेक्षण एवं जांच के परामर्शी कार्य तथा समुद्री दीवार के डिजाइनों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्तुतीकरण हेतु वाप्कोस लिमिटेड (वाप्कोस) को मार्च 2007 में नियुक्त किया, जिसे केवल फरवरी 2010 (सुनामी के पांच वर्षों के पश्चात्), में जाकर ही अंतिम रूप दिया गया था।

इसके पश्चात्, अंडमान लोक निर्माण कार्य विभाग (एपीडब्ल्यूडी) ने किनारे की सुरक्षा हेतु एक संविदा<sup>2</sup> एक निजी ठेकेदार को ₹18.03 करोड़ की लागत पर

1

क्र.सं.	अग्रिम की राशि (₹ लाख में)	अग्रिम स्वीकृति की तारीख	अग्रिम समायोजन की तारीख	ब्याज की अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की राशि (₹ लाख में)
1.	650	21.09.2015	26.08.2016 *	11 माह	10%	59.58
2.	150	30.03.2016	26.08.2016 *	05 माह	10%	6.25
कुल						65.83
* अग्रिम का समायोजन अंतिम बिल में 26.08.2016 को किया गया था।						

2 मस, कार निकोबार (800 मी) चरण-1 में समुद्री दीवार/किनारे की सुरक्षा का निर्माण।

सौंपी (नवम्बर 2011) जिसे अप्रैल 2013 तक समाप्त किया जाना था। कार्य के क्षेत्र में पत्थरों के शिलाखण्डों का उपयोग अपेक्षित था जिसकी ठेकेदार<sup>3</sup> द्वारा व्यवस्था की जानी थी। तथापि, प्रशासन ने निजी उत्खन्न प्रचालन के लिए विस्फोटन अनुमति को पहले ही रोक दिया था (अक्टूबर 2011 अर्थात् नवम्बर 2011 में अनुबंध के निष्पादन से पूर्व) तथा इसलिए उत्खन्न उत्पादन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करने पर ठेकेदार ने एपीडब्ल्यूडी से विनती की गई (मई 2012) कि

- (i) वसूली आधार पर एपीडब्ल्यूडी खदान से अपेक्षित पत्थर के शिलाखण्डों की आपूर्ति करें क्योंकि एपीडब्ल्यूडी अभी भी पत्थर के शिलाखण्ड निकाल रहा था; अथवा
- (ii) उनको एक खदान का आबंटन करने तथा शिलाखण्डों के निष्कर्षण हेतु विस्फोटक जारी करें; अथवा
- (iii) ठेकेदार को महाद्वीप से खदान उत्पादनों को लाने को अनुमत करने तथा अतिरिक्त परिवहन लागत अदा करें।

एपीडब्ल्यूडी ने कार्य के निष्पादन हेतु उपरोक्त किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया था तथा अनुबंध की धारा 3ए के तहत मई 2013 में संविदा को (ठेकेदार के नियंत्रण से परे कारणों से) रोक दिया। ठेकेदार द्वारा प्रारम्भिक चरणों पर सामना की गई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2013 में कार्य हेतु पुनः निविदा की गई थी।

इसी बीच, पहले के ठेकेदार ने यह अनुरोध करते हुए कि नीलामी में एक खदान उनको सौंप दी गई है, रोक को हटाने का अनुरोध किया तथा एपीडब्ल्यूडी ने रोके गए अनुबंध को निरस्त किया (सितंबर 2013) जिसके लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2010 में संविदा की आम शर्तों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं थे। जबकि कार्य फिर से शुरू किया गया तथा एपीडब्ल्यूडी ने किए गए कार्य हेतु ₹1.18 करोड़ का व्यय किया फिर भी ठेकेदार पत्थर के शिलाखण्डों की केवल सीमित मात्रा की ही व्यवस्था कर पाया था। उसने 500-1000 कि.ग्रा. के शिलाखण्ड प्राप्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (जनवरी 2015) तथा फिर से एपीडब्ल्यूडी<sup>4</sup> को आवश्यक विस्फोटक

---

<sup>3</sup> अनुबंध की धारा 21 ने अनुबंध किया कि “पत्थर के शिलाखण्डों, सम्मुख तथा चूर्णित रेत की ठेकेदार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में अनुमोदित खदानों से स्वयं ही व्यवस्था की जाएगी”।

<sup>4</sup> सीई, एपीडब्ल्यूडी ने कार्य को समाप्त करने हेतु खदान चरण के आबंटन का अनुमोदन किया हालांकि उस समय के सीई की सेवानिवृत्ति के कारण औपचारिक आदेश जारी नहीं किया जा सका था।

एवं खदान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके पश्चात्, एपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य के विलम्ब अथवा निलम्बन का हवाला देते हुए कार्य को फिर से जून 2016 में रोक दिया था।

इसी बीच, प्रस्तावित किनारे की सुरक्षा वाले क्षेत्र के संरेखण में समय के बीत जाने के कारण परिवर्तन हो गया था तथा आसपास के क्षेत्र में निष्कर्षण के कारण तल की रूपरेखा बदल जाती है।

एपीडब्ल्यूडी ने मस समुद्री दीवार के कार्य को प्रारम्भ करने की इच्छा तथा राय के संबंध में जून 2017 में अंदाजित लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) को अनुरोध किया था। एएलएचडब्ल्यू ने यह बताते हुए कि एपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत ₹31.84 करोड़ का अनुमान समुद्री दीवार के 800 मीटर तक की लम्बाई के पुनः डिजाइन करने के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे के परामर्श से संशोधन के अधीन है, मस समुद्री दीवार के कार्य को प्रारम्भ करने की अपनी इच्छा सूचित की (अगस्त 2017)। इसके पश्चात्, प्रशासन ने कार्य को अंदाजित लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया (जनवरी 2018)। एएलएचडब्ल्यू ने कार्य हेतु ₹49.19 करोड़ का अनुमान तैयार किया (जनवरी 2018) जिसे पोतपरिवहन मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कर दिया गया है। यह देखा गया कि किया गया सीमित कार्य भी बह गया है।

एपीडब्ल्यूडी ने इससे अवगत होने के बावजूद भी कि प्रशासन ने एएनआई में विस्फोटक खदान प्रचालनों को रोक दिया था प्रारम्भिक अनुबंध निष्पादित किया। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के बावजूद भी कि ठेकेदार ने लगातार शिलाखण्डों को प्राप्त करने की अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अन्य विकल्प का प्रस्ताव रखा, एपीडब्ल्यूडी ने आवश्यक शिलाखण्डों की अनुपलब्धता की समस्या को कम करने हेतु प्रभावी उपाय नहीं किये थे। एपीडब्ल्यूडी ने कार्य को भी रोका, नियम का हवाला दिए बिना फिर से शुरू किया तथा दोबारा रोक दिया। ठेकेदार द्वारा अंतरिम में निष्पादित कार्य का सीमित भाग पूरी तरह बह गया तथा उस पर किया गया ₹1.18 करोड़ का कुल व्यय समुद्री दीवार सुरक्षा की अनुमानित लागत को ₹18.83 करोड़ से ₹49.19 करोड़ तक बढ़ाने के साथ व्यर्थ प्रस्तुत हुआ। निवासी भी घटना के 15 वर्ष पश्चात् भी आज तक असुरक्षित रहे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसने बताया कि उन्हें अभी सरकारी सम्पत्ति की हानि को नियमित करने के लिए

किसी भी हानि विवरणी अथवा बड़ा खाता प्रस्ताव तैयार करना है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2020)।

### संघ शासित क्षेत्र - चंडीगढ़ प्रशासन

#### 15.3 मूल्य वर्धित कर का कम उदग्रहण

नामित अधिकारी ने विक्रेता द्वारा अपने दावे के समर्थन में आग के कारण क्षतिग्रस्त हुए सामान के कारण सकल करोबार से दावा किया गया, दस्तावेजों के सत्यापन के बिना, ₹2.25 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी, परिणामस्वरूप बिक्री में कमी दर्शाना तथा ₹11.25 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

विवरणी, वार्षिक लेखे एवं विवरणी की लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु चण्डीगढ़ वैट नियमावली, 2006 के नियम 45, 47 एवं 48 के अनुसार, नामित अधिकारी किसी व्यक्ति को कोई भी विवरणी एवं अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी जो भी आवश्यक समझे, की यथार्थता के सत्यापन हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद नामित अधिकारी ऐसे व्यक्ति की कर देयता को निर्धारित करते हुए लिखित रूप में निर्धारण आदेश निकालेगा।

वार्ड 4 यूटी के नामित अधिकारी ने, जब मैसर्स न्यू अशोका टैक्सटाइल्स जो तैयार कपड़े के सामान, चमड़े के सामान तथा कपड़े के व्यवसाय में चंडीगढ़ में है, के मामले का वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण किया (नवम्बर 2017), तो विक्रेता द्वारा आग के कारण क्षतिग्रस्त हुए सामान के कारण सकल करोबार से किये गये दावे का, अपेक्षित नियमानुसार दावे के समर्थन में दस्तावेजों के प्राप्त किये बिना तथा बिना सत्यापन के ₹2.25 करोड़ के कटौती की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने बताया (मई 2018) कि प्रासंगिक दस्तावेजों के सत्यापन में विफलता के परिणामस्वरूप बिक्री में कमी दिखाने के कारण ₹11.25 लाख (अर्थात् ₹2.25 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के कर का कम उदग्रहण हुआ।

इस पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2018) कि पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 65 (i) के तहत विक्रेता के प्रति संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, जिसका परिणाम व्यावसायिक खाता में दर्शायी गई कुल बिक्री में ₹2.25 करोड़ के क्षतिग्रस्त स्टॉक के मूल्य को जोड़ने के बाद अक्टूबर 2018 के आदेश पत्र में ₹11.25 लाख की राशि के कर की अतिरिक्त मांग की गई। ₹2.81 लाख की

राशि मार्च 2019 में फर्म द्वारा जमा की गई है, जबकि फर्म ने चण्डीगढ़ वैट अधिकरण, यूटी चण्डीगढ़ के समक्ष पुनरीक्षण आदेश के प्रति याचिका दायर की।

मामला जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय को भेजा गया तथा जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

#### 15.4 यूटी चण्डीगढ़ में तृतीयक उपचारित जल का उपयोग

नगर निगम चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने सिंचाई के लिए पेय जल, जिसका उपयोग अन्यथा किया जा रहा था, के स्थान पर उपचारित जल आपूर्ति के लिए इसके सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) से सीवरेज का उपचार करने हेतु एक मौजूदा 10 मिलियम गैलन प्रति दिन (एमजीडी) के तृतीयक उपचार संयंत्र के अतिरिक्त 10 एमजीडी की क्षमता वाले एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा संबंधित सुविधाओं के डिजाईन एवं निर्माण के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

डिजाईन में गलत तरीके से सीवेज के पानी की पर्याप्त उपलब्धता की कल्पना की गई, एक भूमिगत जलाशय को पम्पों, जिन्हें दोनों संयंत्रों में लगाया गया था, की अपेक्षित बहाव क्षमता से कम वाले पुराने नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया गया था तथा पुराने एसटीपी को तकनीकी रूप से उन्नत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एमसीसी ने टीटीपी को आउटपुट में अपेक्षित बीओडी स्तर अर्थात् 5 एमजी/ली. से कम को सुनिश्चित नहीं किया था जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं में उपचारित जल को ग्रहण न करने का कारण बना।

इसके अतिरिक्त, एमसीसी योजनागत परियोजना के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत के 43 प्रतिशत की वसूली नहीं कर सका। उपचारित जल की एमसीसी बागवानी स्कंध द्वारा रख-रखाव किए जा रहे हरित स्थानों को निःशुल्क आपूर्ति की गई थी। एमसीसी ने तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल भी नहीं भेजे थे। लेखापरीक्षा में पाया कि परियोजना के समापन के पश्चात 6-7 वर्षों के बाद भी प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके थे तथा लेखापरीक्षा स्वयं परियोजना की व्यवहार्यता से आश्वस्त नहीं था।

### 15.4.1 प्रस्तावना

चण्डीगढ़ शहर में लगभग 110-एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) के पेय जल की सकल मांग<sup>5</sup> थी जिसे भाखड़ा कैनाल से 50 एमजीडी, भाखड़ा मुख्य लाईन से 16 एमजीडी तथा भूमिगत जल स्रोतों से 24 एमजीडी से पूरा किया जाता है तथा 20 एमजीडी की कमी रहती है।

पेय जल, जिसका सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा था, को बदल कर पेय जल की कमी को पूरा करने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन ने प्रारम्भिक रूप से 10 एमजीडी क्षमता के एक तृतीयक उपचार संयंत्र तथा उत्पन्न तृतीयक उपचारित जल की, सेक्टर 1 से 12 तथा सेक्टर 26 में सिंचाई हेतु आपूर्ति करने के लिए परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत, एक वितरण नेटवर्क की स्थापना की (1991)।

नगर निगम, चण्डीगढ़ (एमसीसी) ने वर्ष 2007 में चरण-II के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम के अधीन भारत सरकार (80 प्रतिशत), चण्डीगढ़ प्रशासन (10 प्रतिशत) तथा एमसीसी (10 प्रतिशत) द्वारा प्रदान की गई निधियों के कुल ₹36.72 करोड़ के साथ तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। एमसीसी ने ₹6.18 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ तीसरे चरण के सेक्टरों अर्थात् सेक्टर 48 से सेक्टर 56 में विभिन्न खुले मैदानों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति करने हेतु एक अलग कार्य भी प्रारम्भ किया। इसमें निम्नलिखित शामिल था:

1. चरण XI, दिग्गियन, मोहाली में नव स्थापित 30 एमजीडी एसटीपी पर 10 एमजीडी क्षमता वाला एक नया तृतीयक उपचार संयंत्र,
2. एक बढ़ती मुख्य लाईन, 04 यूजीआर (भूमिगत जलाशय) तथा
3. कुछ सेक्टरों को आवृत्त करते हुए वितरण नेटवर्क डालना।

इस परियोजना का उद्देश्य 20 एमजीडी पेय जल, जिसका वर्तमान में पब्लिक पार्को/ ग्रीन बेल्टों/ लॉन तथा खुले मैदानों की सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है, के संरक्षण के माध्यम से चण्डीगढ़ शहर की जल आपूर्ति प्रणाली के अप्रत्यक्ष संवर्धन को प्राप्त करना था।

कुल 3573 एकड़ के हरित स्थानों को तीन चरणों के अंतर्गत शामिल किया जाना था;

---

<sup>5</sup> चण्डीगढ़ शहर में हरित स्थानों की सिंचाई हेतु तृतीयक उपचारित सीवेज के एकत्रण द्वारा पेय जल संरक्षण पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार

चरण	आवृत्त क्षेत्र
चरण -I (सेक्टर 1-12 तथा 26)	1290 एकड़
चरण-II (सेक्टर 14 से 47 सिवाय सेक्टर 26 के) तथा सेक्टर 48 से 56 तक तृतीयक जल की आपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान	2283 एकड़
चरण-III (सेक्टर 48 से 56 तक के लिए वितरण नेटवर्क)	
<b>आवृत्त कुल क्षेत्र</b>	<b>3573 एकड़</b>

नगर निगम, चण्डीगढ़ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था।

#### 15.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस परियोजना की लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने हेतु की गई थी कि:

- परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है
- कार्य का निष्पादन मितव्ययता तथा मापदण्डों एवं प्रतिमानों के अनुपालन के पश्चात तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार है।
- परियोजना का संचालन उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे कि योजनाबद्ध है।

#### 15.4.3 क्षेत्र तथा आवृत्तन

परियोजना के चरण II एवं III पर किए गए पूंजीगत व्यय तथा संवर्धन हेतु प्रारम्भ किए गए अन्य पूंजीगत निर्माण कार्यों को लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि अप्रैल 2012 से मार्च 2018 तक थी।

#### 15.4.4 (ए) लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- (i) तृतीयक उपचार संयंत्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना-  
सीवेज पानी की उपलब्धता का अधिक अनुमान

डीपीआर (चरण-II) के अनुसार 67 मिलियन गैलन सीवेज, यूटी चण्डीगढ़ में प्रति दिन उत्पन्न किया जा रहा था जिसे टीटीपी हेतु आधार के रूप में लिया गया था।



तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि दिग्गियन, मोहाली में 15 एमजीडी<sup>6</sup> तथा 3 बीआरडी, चण्डीगढ़ में 05 एमजीडी की क्षमताओं वाले कुछ पुराने एसटीपी को बंद कर दिया गया था तथा मलोया में एक 2 एमजीडी एसटीपी निर्माणाधीन था इसलिए 31 मार्च 2015 को उपलब्ध उपचार क्षमता केवल 50 एमजीडी (अक्टूबर 2017 से प्रभावी 45 एमजीडी) थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अवधि (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) के दौरान, 50 एमजीडी (अक्टूबर 2017 से प्रभावी 45 एमजीडी) की उपलब्ध उपचार क्षमता के प्रति शहर में वास्तविक सीवेज उत्पत्ति 23.57 से 32.80 एमजीडी के बीच थी, जिसका मतलब है कि डीपीआर में परियोजना हेतु इनलेट पानी के लिए योजना प्रतिमानों (अर्थात् 67 एमजीडी) को बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तृतीयक उपचारित जल का कम उत्पादन हुआ। एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि दिसम्बर 2018 की समाप्ति तक, 116 एमजीडी पेय जल शहर में उपलब्ध कराया जाएगा तथा सीपीएचइओ के प्रतिमानों के अनुसार, 80 प्रतिशत जल आपूर्ति अर्थात् 92.8 एमजीडी को शहर की सीवेज क्षमता के रूप में माना जाएगा।

इस पर विचार करने के पश्चात कि 20 एमजीडी पेय जल का सिंचाई के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जा रहा था, एमसीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। केवल शेष 70 एमजीडी पेय जल का उपयोग सीवेज उत्पादन के अनुमान हेतु किया जाना चाहिए जैसा कि डिजाईन भी किया गया था। यह सत्य भी है कि शहर में वास्तविक न्यूनतम तथा अधिकतम सीवेज उत्पादन (अप्रैल 2015 से मार्च 2018) 23.57 से 32.80 एमजीडी के बीच था।

## ii) त्रुटिपूर्ण योजना

3 बीआरडी में 10 एमजीडी (लगभग) की क्षमता वाले एक सीवेज उपचार संयंत्र का, 5.00 एमजी/एल से कम बीओडी (जैवरसायन ऑक्सीजन मांग) वाले अंतिम प्रवाह के साथ, नगर निगम चण्डीगढ़ द्वारा रखरखाव (नवम्बर 2013 से) किया जा रहा है तथा इस पानी को आवृत्त करने के लिए ₹2.62 करोड़ का व्यय करके एक पाईप लाईन, पम्पिंग मशीनरी तथा अन्य आकस्मिक निर्माण कार्यों को अगस्त 2015 में पूरा किया गया था।

---

<sup>6</sup> दिग्गियन, मोहाली में 15 एमजीडी पुराने एसटीपी के बंद होने से पुराना तथा नया तृतीयक उपचार संयंत्र चरण XI, दिग्गियन, मोहाली में लगे 30 एमजीडी क्षमता के नए एसटीपी से अपने इनपुट ले रहे हैं।

जन स्वास्थ्य मंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि इस एसटीपी में उत्पादन किए जा रहे कुल 6-7 एमजीडी उपचारित प्रवाह में से उपचारित प्रवाह केवल 0.6-0.7<sup>7</sup> एमजीडी को ही पुराने वितरण नेटवर्क के राईजिंग मैन को आपूर्ति की जा सकी थी तथा शेष उपचारित जल को उपचारित जल के निर्गम केन्द्र पर भूमिगत जलाशय की गैर-योजना के कारण आस-पास के नालों में छोड़ा जाना था। इस प्रकार, 5 एमजी/एल से कम बीओडी वाले प्रवाह के राईजिंग मैन में उपयोग किए जाने/आपूर्ति करने के उद्देश्य को, पर्याप्त क्षमता की असफल योजना के कारण, ₹2.62 करोड़ के व्यय के बावजूद भी पूरा नहीं किया जा सका था।

एमसीसी ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (नवम्बर 2018) कि इस पैरा की अभ्युक्तियों को कार्य स्थल पर पुरानी परित्यक्त संरचना का उपयोग करके तृतीयक उपचार संयंत्र के परिवेश में यूजीआर की डिजाईनिंग हेतु नोट कर लिया गया है।

#### 15.4.4 (बी) परियोजना डिजाईन के मापदण्ड

##### i) उद्देश्य की तुलना में परियोजना के परिणाम

डीपीआर के अनुसार, चण्डीगढ़ में कुल 3573 एकड़ हरित स्थानों को आवृत्त करने के लिए 20 एमजीडी पानी की आवश्यकता थी जिसमें से 10 एमजीडी को पहले ही आवृत्त कर लिया गया था जो वास्तव में 3-4.5 एमजीडी का उत्पादन कर रहा था।


लेखापरीक्षा ने पाया कि पम्पों को एक दिन में दो शिफ्टों में चलाया जाता था तथा दोनों संयंत्रों में पम्पों की प्रवाह क्षमता को ध्यान में रखते हुए केवल 14.90 एमजीडी तृतीयक जल ही एक दिन में 16 घण्टों में शहर को प्रदान किया जा सकता है। यह दर्शाता है कि डिजाईन किए गए सभी संघटक तथा प्रणाली में शहर को 20 एमजीडी तृतीयक जल प्रदान करने की क्षमता नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ण रूप से 20 एमजीडी की नियोजित आपूर्ति के प्रति केवल 6-9 एमजीडी की वास्तव में आपूर्ति की जा रही थी जिसमें चरण-11 से लगभग 3-4.5 एमजीडी शामिल है।

<sup>7</sup> एक एमजीडी = 4546 क्यूबिक मीटर, प्रत्येक पम्प का अधिकतम चालू समय 3.30 घण्टे, दो पम्पों का बहाव-920 क्यूबिक मीटर/घण्टा, कुल प्रवाह -3220 क्यूबिक मीटर/प्रति दिन, आपूर्ति किया गया उपचारित जल  $3220/4546=0.71$  एमजीडी

सिंचाई प्रयोजन हेतु पानी की कमी को पूरा करने के लिए बगीचों/पार्कों/ग्रीन बेल्टों में तृतीयक जल परियोजना से पूर्व लगाए गए 25 सिंचाई ट्यूबवेल अभी भी चालू थे।


एसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि “तृतीयक उपचारित जल के उपयोग हेतु कनेक्शनों को निष्क्रिय किया जा रहा है जिनका विस्तार किया जाएगा तथा इनमें समय लगेगा, इस प्रकार से लेखापरीक्षा निष्कर्ष को परोक्ष रूप से स्वीकार करता है।”



ii) तृतीयक जल वितरण नेटवर्क की पूर्ण क्षमता में बाधा डालने वाले भूमिगत जलाशय (यूजीआर) का स्थान परिवर्तन


डीपीआर के अनुसार, नए वितरण नेटवर्क में उपचारित जल प्रवाह तथा आपूर्ति के संतुलन हेतु चार भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का सेक्टर 47सी, 29सी, 29बी तथा 28बी में निर्माण किए जाने का प्रस्ताव था।

## प्रस्तावित योजना



लेखापरीक्षा ने पाया कि चार यूजीआर में से तीन यूजीआर अर्थात् सेक्टर 48ए (प्रारम्भ में सेक्टर 47सी में प्रस्तावित यूजीआर), 29बी तथा 29सी के यूजीआर का निर्माण नए वितरण नेटवर्क में किया गया था परंतु सेक्टर 28बी में यूजीआर का पुराने वितरण नेटवर्क में स्थान परिवर्तन कर दिया गया था जिसका पहले से ही परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत सिंचाई जल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। इन बदलावों के समर्थन में सक्षम प्राधिकारी का कोई औचित्य/अनुमोदन अभिलेख में नहीं था।

## निष्पादित योजना



लेखापरीक्षा का तर्क है कि सेक्टर 28बी में यूजीआर के नए वितरण नेटवर्क से पुराने वितरण नेटवर्क में स्थान परिवर्तन करने से पूर्ण परियोजना के महत्व को बदल दिया:

1. अतिरिक्त यूजीआर के बावजूद, पहले की भांति केवल 3-4 एमजीडी तृतीयक जल की पुराने नेटवर्क में आपूर्ति की गई थी तथा इस प्रकार चरण-1 के सेक्टरों में तृतीयक जल की आपूर्ति में कोई बड़ा सार्थक बदलाव नहीं है।

2. नये वितरण नेटवर्क में पम्पिंग की अधिकतम क्षमता को 10 घण्टों में 10 एमजीडी, मूल डिजाईन के अनुसार से तृतीयक जल 7.08 एमजीडी तक कम कर दिया गया था तथा केवल 3-4.5 एमजीडी तृतीयक जल की अप्रैल 2015 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई थी जो डिजाईन की क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रही है।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि सेक्टर 31 के यूजीआर 3 बीआरडी में 11 एमजीडी के एसटीपी के निकट उचित नहीं है। फिर यह प्रस्ताव किया गया था कि तृतीयक उपचारित जल की इस एसटीपी संयंत्र से सीधे पूर्ति क्षेत्र को आपूर्ति की जाएगी।

एमसीसी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सेक्टर-31 के क्षेत्र (3 बीआरडी में 11 एमजीडी क्षमता के एसटीपी के निकट) की सीधे राईजिंग मैन के माध्यम से पूर्ति की जा रही है न कि एसटीपी से, जैसा एमसीसी द्वारा बताया गया। इसके अतिरिक्त, यदि सेक्टर 28बी में यूजीआर का पुराने नेटवर्क में स्थान परिवर्तन वांछनीय था तो सभी यूजीआर में लगाए जाने वाले पम्पों की वांछित विशिष्टताओं/डिजाईन पर संबंधित नेटवर्कों में आपूर्ति किए जाने वाले तृतीयक जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुनः कार्य किया जाना चाहिए था जिससे कि तृतीयक जल की इष्टतम आपूर्ति को अंतिम उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराया जा सकता था।

### iii) तृतीयक उपचारित जल कनेक्शन का बिल नहीं दिया गया

डीपीआर (परियोजना की व्यवहार्यता) के अनुसार, 43 प्रतिशत की सीमा तक परियोजना की संचालन तथा अनुरक्षण लागत को टीटी जल की बिक्री से वसूला जाएगा तथा शेष व्यय को संचित पेय जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तृतीयक उपचारित परियोजना के अंतर्गत कुल 5,734 तृतीयक जल कनेक्शनों में से केवल 1,327 तृतीयक जल कनेक्शनों के बिल प्रस्तुत किए गए थे जिसका परिणामस्वरूप 4,407 तृतीयक उपचारित जल कनेक्शन बिना बिल के रह गए।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में बताया कि लोक स्वास्थ्य प्रभाग में अनुरक्षित अभिलेख के अनुसार तृतीयक उपचारित जल के बिलों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपर्युक्त दर्शाए गए आंकड़े एमसीसी द्वारा प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, एमसीसी द्वारा ग्रीन बैल्टों/बगीचों/पार्कों आदि को तृतीयक जल की निःशुल्क आपूर्ति किया जा रहा है जिनका एमसीसी के बागवानी स्कंध द्वारा रखरखाव किया जा रहा था तथा जिनके राजस्व को डीपीआर के अनुमोदन के समय हटाया नहीं गया था।

#### **iv) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में वांछित परिक्रामी निधि का अनुरक्षण न किया जाना**

2007 में अनुमोदित (डीपीआर) के अनुसार, जारी निधियों के कम से कम 25 प्रतिशत की वसूली की जाएगी तथा मिशन के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन के व्ययों को पूरा करने के लिए शहरी स्तर पर परिक्रामी निधि में क्रेडिट किया जाएगा, तथा जिसकी कुल राशि ₹372.58 लाख प्रति वर्ष होगी।

इसमें से 43 प्रतिशत व्यय को तृतीयक जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था तथा शेष को सिंचाई प्रयोजनों हेतु तृतीयक जल का उपयोग करके संचित पेय जल की बिक्री से सृजित राजस्व से पूरा किया जाना था।

एमसीसी के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कोई ऐसी परिक्रामी निधि नहीं बनाई गई थी तथा एमसीसी द्वारा तृतीयक जल की आपूर्ति से एकत्रित राजस्व के किसी अलग लेखे का अनुरक्षण नहीं किया गया था। एमसीसी ने बताया (नवम्बर 2018) कि तृतीयक जल प्रभारों के रूप में सृजित राजस्व का तृतीयक जल नेटवर्क के रखरखाव हेतु उपयोग किया जा रहा है, परंतु इसके पुष्टि में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

#### **v) पुराने तृतीयक उपचार संयंत्र के सुधार पर परिहार्य व्यय**

एमसीसी ने ₹3.13 करोड़ में पुराने टीटीपी पर 10 एमजीडी क्षमता (सितम्बर 2015) के पुनःस्थापना का कार्य पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह कार्य प्रारम्भ करते समय अंतिम प्रवाह के बीओडी (जैव-रसायन ऑक्सीजन मांग) स्तर से संबंधित विशिष्टता को 5 एमजी/एल से कम के स्तर तक उन्नत नहीं किया गया था जिसे चरण-1। हेतु डीपीआर में अनुमोदित किया गया था जिससे यह तृतीयक जल आपूर्ति हेतु अनुपयुक्त है।

लेखापरीक्षा के तर्क में बीओडी<sup>8</sup> का उच्चतर स्तर उपभोक्ताओं में तृतीयक जल को स्वीकार न करने का संभावित कारण है। इस प्रकार, संयंत्र की पुनः स्थापना में किया गया पूर्ण व्यय निष्फल हुआ था।

एमसीसी ने अपने उत्तर (नवम्बर 2018) में माना कि केवल गौण उपचार 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक बीओडी को हटाता है तथा तृतीयक उपचार संयंत्र बीओडी को सीमित करने में एक अहम भूमिका अदा नहीं करता है।

एमसीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना है कि जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तृतीयक जल 5एमजी/एल से कम बीओडी स्तर का होना चाहिए जिसे पूरा नहीं किया गया था।

#### vi) सीवेज जल के अनुचित अनुमान के कारण पम्प हाउस का कम उपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि पुराने तथा नए तृतीयक संयंत्र में लगाए गए पम्पों का प्रवाह प्रत्येक पम्प के लिए क्रमशः 983<sup>9</sup> क्यूबिक मीटर प्रति घंटा तथा 1,135<sup>10</sup> क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है। परिणामस्वरूप, 4,236 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा के अधिक्य में गौण उपचार के पश्चात सीवेज को इष्टतम पम्पिंग दक्षता पर भी आस-पास के नालों में बहाया जाना बाध्य था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दूसरी ओर रात के समय उपचार सुविधा में सीवेज का प्रवाह काफी कम अर्थात् 1800 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा है जिससे तृतीयक संयंत्र हेतु प्रवाह कम होता है। परिणामस्वरूप, तृतीयक संयंत्र को, तृतीयक संयंत्रों में लगाए जाने वाले पम्पों की क्षमता का डिजाईन करते समय किए गए

---

<sup>8</sup> बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा, जो बैक्टीरिया को जल/व्यर्थ जल में मौजूद जैविक संघटकों को कम करने हेतु अपेक्षित है, का एक माप है। जैव-रसायन आक्सीजन मांग एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रतिमान है क्योंकि यह पर्यावरण में व्यर्थ जल आने के प्रभाव को निर्धारित करने हेतु एक इंडेक्स प्रदान करता है। जितना अधिक बीओडी मात्रा होगी उतनी ही अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले बैक्टीरिया के लिए जैविक पदार्थ अथवा “खाद्य” की मात्रा होगी। 1-2 पीपीएम के बीओडी स्तर को बहुत अच्छा माना जाता है। 3-5 पीपीएम के बीओडी स्तर वाली जल आपूर्ति को साधारणतः स्वच्छ माना जाता है। 6-9 पीपीएम के बीओडी स्तर वाले जल में, जल को कुछ हद तक प्रदूषित माना जाता है क्योंकि उसमें आमतौर पर जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं तथा बैक्टीरिया इस अपशिष्ट को विघटित करते हैं।

<sup>9</sup> पुराने तृतीयक पम्प की बहाव विशिष्टता

<sup>10</sup> नए तृतीयक पम्प की बहाव विशिष्टता



अनुमानों के विपरीत, रात में इनकी पूर्ण क्षमता पर नहीं चलाया जा सकता। रात को शहर में सिंचाई की कोई मांग भी नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिजाईन मापदण्डों के लिए पूर्ण परिकलन इस तथ्य कि व्यस्ततम घंटों के दौरान सीवेज का प्रवाह तृतीयक संयंत्रों में लगाए गए पम्पों के प्रवाह से काफी अधिक था तथा रात के समय वह संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य करने की अपेक्षा से काफी कम था, को पूर्णतः अनदेखा करते हुए शहर को सिंचाई के लिए तृतीयक जल की 20 एमजीडी की आपूर्ति की आवश्यकता पर आधारित था।

एमसीसी ने अपने उत्तर में बताया कि पम्पिंग क्षमता को अधिकतम पीक लोड के लिए डिजाईन किया गया था एवं पम्पिंग तृतीयक उपचारित जल की आवश्यकता के अनुसार की गई है तथा अन्तिम उपभोक्ताओं को आगे वितरण हेतु टीटी संयंत्र अथवा गौण स्थानों में भूमिगत जलाशय का निर्माण करके टीटी जल का भण्डारण किया गया।

एमसीसी का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान कम पम्पिंग क्षमता (अर्थात् 4236 क्यूबिक मीटर/घंटा) के कारण गौण उपचारित जल को आस-पास के नालों में छोड़ा जा रहा था तथा कम प्रवाह घंटों के दौरान पम्पों को क्षमता से कम पर चलाया गया था।

#### 15.4.4 (सी) निष्पादन

##### i) कार्य के निष्पादन में अनियमितताएं

एमसीसी चण्डीगढ़ ने दिग्गियन में ड्यूअल मीडिया फिल्टर्स तथा अन्य सहायक इकाईयों को लगाकर जैविक उपचारिता सीवेज का उपचार करने हेतु 10 एमजीडी क्षमता के टीटीपी के निर्माण के लिए मैसर्स एचएल हाण्डा एण्ड कम्पनी के साथ ₹7.78 करोड़ (₹7.29 करोड़ पूंजीगत कार्य के लिए तथा ₹0.49 करोड़ संचालन एवं अनुरक्षण के लिए) की संविदा पूरी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

1. उपरोक्त कथित कार्य के लिए ₹4.73 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रति ₹7.29 करोड़ (54 प्रतिशत अधिक) की राशि का व्यय किया गया था। स्थापित किए जाने वाले तृतीयक संयंत्र की क्षमता/प्रौद्योगिकी में बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के इस सीमा तक परियोजना की लागत में वृद्धि का औचित्य, अभिलेख में नहीं पाया गया था।



2. उपरोक्त कथित संयंत्र से 10 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की क्षमता के प्रति औसतन केवल 3-4 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही थी।

3. बीओडी स्तर के मापदण्ड, जैसे अभिकरण तथा एमसी चंडीगढ़ के बीच सहमति की गई थी, 20एमजी/एल से कम था जो कि डीपीआर में अनुमोदित स्तर अर्थात् पांच एमजी/एल से काफी अधिक था।

चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बीओडी तथा रसायन ऑक्सीजन मांग (सीओडी) के मापदण्ड भी डीपीआर में अनुमोदित मापदण्डों की तुलना में काफी अधिक थे जो इस तथ्य को स्थापित करता है कि हरित मैदानों/घरों को सिंचाई हेतु प्रदान किए जा रहे तृतीयक जल की गुणवत्ता अवमानक थी।

एमसीसी ने अपने उत्तर में बताया कि प्रशासनिक रूप से संस्वीकृति पूर्ण परियोजना के लिए थी तथा किसी भी चरण में आधिक्य को अनियमितता नहीं कहा जा सकता।

- (i) दो भिन्न माध्यमों से आपूर्ति को समेकित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी नामपद्धति अलग है।
- (ii) पुराने तथा नए तृतीयक संयंत्र को पांच एमजी/एल से अधिक के बीओडी स्तर के लिए डिजाइन किया गया था।

एमसीसी का उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि कार्य लागत को तृतीयक संयंत्र की क्षमता/प्रोद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना 54 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था तथा पांच एमजी/एल बीओडी<sup>11</sup> से कम के लिए मंत्रालय के मानक का अनुपालन न किए जाने के कोई कारण नहीं दिए गए थे।

---

<sup>11</sup> बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा, जो बैक्टीरिया को जल/व्यर्थ जल में मौजूद जैविक संघटकों को कम करने हेतु अपेक्षित है, का एक माप है। जैव-रसायन आक्सीजन मांग एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता प्रतिमान है क्योंकि यह पर्यावरण में व्यर्थ जल आने के प्रभाव को निर्धारित करने हेतु एक इंडेक्स प्रदान करता है। जितना अधिक बीओडी मात्रा होगी उतनी ही अधिक उपलब्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले बैक्टीरिया के लिए जैविक पदार्थ अथवा “खाद्य” की मात्रा होगी। 1-2 पीपीएम के बीओडी स्तर को बहुत अच्छा माना जाता है। 3-5 पीपीएम के बीओडी स्तर वाली जल आपूर्ति को साधारणतः स्वच्छ माना जाता है। 6-9 पीपीएम के बीओडी स्तर वाले जल में, जल को कुछ हद तक प्रदूषित माना जाता है क्योंकि उसमें आमतौर पर जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं तथा बैक्टीरिया इस अपशिष्ट को विघटित करते हैं।

### 15.4.5 निष्कर्ष

तृतीयक उपचारित जल के डिजाईन तथा कार्यान्वयन दोनों की विफलता के कारण 20 एमजीडी, जिसकी आपूर्ति करने की योजना की गई है, के बजाए कुल 6-9 एमजीडी तृतीयक उपचारित जल की आपूर्ति की जा रही है, जबकि परियोजना की व्यवहार्यता बिलिंग आदि नहीं किये जाने के कारण प्रभावित है।

### 15.4.6 रिपोर्टिंग

मामला जुलाई 2018 एवं अगस्त 2019 में नगर निगम चण्डीगढ़ तथा अगस्त 2018 में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचित किया गया है, उनके उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित है।

### 15.5 पट्टा किरायों का निर्धारण

पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय चण्डीगढ़ के परिसर में कार्य कर रहे बैंकों के लिए किराए की निर्धारित दरों को अपनाने में विफलता के फलस्वरूप बैंकों से ₹1.15 करोड़ के किराए की कम वसूली हुई।

वित्त मंत्रालय के 04 अक्टूबर 2016 के कार्यालय ज्ञापन ने सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 के प्रावधानों का लागू किया जिसमें शामिल है कि i) सभी स्वायत्त निकाय, नई अथवा पहले से अस्तित्व में हैं उनके आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अधिकतम करने तथा अंततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ii) क्या उपभोक्ता प्रभारों, जहां उत्पादन अथवा सेवाओं का अन्य द्वारा उपयोग किया गया है, उनका उद्ग्रहण उपयुक्त दरों पर किया गया है तथा iii) संगठन में आंतरिक संसाधनों के उत्पादन के विस्तार को अधिकतम किया जाए जिससे कि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है।

संपदा निदेशालय (डीओई), शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बैंकों/डाक घरों जैसे सेवा विभागों/उपक्रमों, जो सामान्य पूल कार्यालय आवास से कार्य करते हैं, से वसूल किए जाने वाले लाईसेंस शुल्क की अलग दरों को पहली बार अधिसूचित (1 जनवरी 2004) किया। डीओई द्वारा निर्धारित दरें मार्च 1999 से लागू थीं तथा समय समय पर उनको संशोधित किया गया। डीओई, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार (एमओयूडी) चण्डीगढ़ शहर में जीओआई के संपदा आवासीय/कार्यालय स्थानों के प्रशासन एवं प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी है।

पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय, (पीइसी) चण्डीगढ़, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ का एक पूर्ण रूप से वित्तपोषित संस्थान है जिसने अपनी इमारत को दो

राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को ₹1,876 प्रति माह तथा ₹10,800 प्रति माह के एकमुश्त किराए पर क्रमशः 315 वर्ग मीटर तथा 104 वर्ग मीटर के स्थान आबंटन सहित अक्टूबर 1992 तथा मार्च 2005 से पट्टे पर दिया जिसे क्रमशः ₹18,772 प्रति माह (04/2013) तथा ₹29,738 प्रति माह (10/2014) तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीईसी ने अपने परिसर के भीतर बैंकिंग सेवाओं हेतु अपने किराए अनुबंध में डीओई की नवीनतम निर्धारित दरों अर्थात् ₹455 प्रति वर्ग मीटर की दर (अप्रैल 2011) तथा ₹585 प्रति वर्ग मीटर की दर (अप्रैल 2014) को नहीं अपनाया था। इसके परिणामस्वरूप दोनों बैंकों के संबंध में अप्रैल 2013 से मार्च/नवम्बर 2018 तक की अवधि के लिए कुल ₹1.15 करोड़ के लाईसेंस शुल्क की कम वसूली हुई।

पीईसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2018) कि किराया प्रारम्भ में चण्डीगढ़ प्रशासन की स्वीकृति से पीडब्ल्यूडी विभाग चण्डीगढ़ द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार निर्धारित किया गया था। पीईसी ने यह भी दावा किया कि वे गैर-वाणिज्यिक संगठन हैं तथा इसलिए किराए के संबंध में डीओई के अनुदेश लागू नहीं हैं। यह स्पष्ट किए जाने पर कि जबकि पीईसी एक शैक्षणिक संस्थान है और बैंक जिन्होंने उनके परिसर को किराए पर लिया है, वाणिज्यिक उपक्रम हैं तथा वह मापदण्डों के अनुसार अदा करने के उत्तरदायी हैं। इसके पश्चात्, पीईसी ने कैम्पस में बैंक परिसरों के लिए किराए का पुनर्निर्धारण करने हेतु यूटी के इंजीनियरिंग विभाग के साथ मामले को आगे बढ़ाया परंतु पूरी अवधि को आधार विलेख में सुनिश्चित करने में विफल रहा।

सितंबर 2019 को हुई एक बैठक में, पीईसी ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि दोनों बैंकों के संबंध में किरायों का संशोधन कर दिया गया है। एसबीआई ने भी संशोधित पट्टा विलेख के अनुसार 01 अप्रैल 2018 से लागू किराया जमा कर दिया है जबकि पीएनबी के किराए को 01.10.2019 से संशोधित किया जा रहा है तथा पट्टा विलेख प्रतीक्षित है। बैंकों को अभी भी पहले की अवधियों के बकाया अदा करने हैं।

इस प्रकार, समय पर बैंकों के लाईसेंस शुल्कों की निर्धारित दरों को लागू करने में पीईसी की विफलता के परिणाम में बैंकों से कुल ₹1.15 करोड़ के किराए की कम वसूली हुई।

मामला जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

## 15.6 सेवा कर का अनियमित भुगतान

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चण्डीगढ़ ने सेवा-कर का सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति चण्डीगढ़ को ₹64.83 लाख का अनियमित भुगतान किया जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात् वसूला गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी), चण्डीगढ़ प्रशासन ने संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के निवासियों के बेहतरी के लिए ई-सम्पर्क नामक एक आईटी परियोजना तैयार (2001) की तथा दो विक्रेताओं अर्थात् एसक्यूएल स्टार इंटरनेशनल लिमिटेड (सितंबर 2004) तथा मैसर्स डाटामेशन (दिसंबर 2006) को, शहरी ई-सम्पर्क केन्द्रों तथा ग्रामीण सम्पर्क केन्द्रों के प्रचालन हेतु किसी भी प्रकार के शुल्क प्रभारों तथा उद्ग्रहित/लागू करों सहित क्रमशः ₹8.89/- प्रति लेन देन तथा ₹3.90/- प्रति लेन देन की दर पर नियुक्त किया जबकि दोनों अभिकरणों के साथ संविदा दिसंबर 2010 को समाप्त हो गई थीं।

डीआईटी ने (जनवरी 2011) इन ई-सम्पर्क केन्द्रों को चलाने का कार्य उन्हीं निबन्धन एवं शर्तों, जिन्हें पहले के सेवा प्रदाताओं (मैसर्स एसक्यूएल स्टार इंटरनेशनल तथा मैसर्स डाटामेशन) द्वारा सहमत किया गया था, पर अस्थायी रूप से प्रारम्भ में छः महीनों की अवधि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन समिति, चण्डीगढ़ (एसपीआईसी) को सौंपा। छः माह के आधार पर सेवा अवधि का विस्तार जून 2015 तक जारी रहा तथा तत्पश्चात् 01 जुलाई 2015 से परियोजना को स्थाई आधार पर एसपीआईसी को सौंप दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2017) कि डीआईटी, यूटी चण्डीगढ़ ने उन सहमत निबंधनों एवं शर्तों जिनके तहत एसपीआईसी सेवा कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था, के उल्लंघन में सितंबर 2011 से मार्च 2017 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹2.08 करोड़ अदा किए जैसा एसपीआईसी द्वारा दावा किया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय डीआईटी ने एसपीआईसी से सितंबर 2011 से जून 2015 तक की अवधि के लिए ₹64.83 लाख की वसूली की थी जहां लेन-देन की दरों में सेवा कर शामिल था। डीआईटी ने आगे बताया कि उन्होंने बाद में जुलाई 2015 को लेन-देन की दरों को संशोधित किया था जिसके पश्चात् सेवा कर प्रतिपूर्ति योग्य हैं।

मामला मई 2019 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

15.7 संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सचिवालय कैंटीन, चंडीगढ़ और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली का संचालन और प्रबंधन

सीआईटीसीओ ने संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सचिवालय कैंटीन और गेस्ट हाउस, नई दिल्ली को बिना किसी समझौते या परिचालन व्यवस्था के संचालित किया और क्रमशः ₹8.27 करोड़ और ₹1.52 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा।

चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ), क्रमशः 1983 और 1990 से संघ शासित क्षेत्र (यूटी), चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ में एक सचिवालय कैंटीन और नई दिल्ली में एक गेस्ट हाउस का प्रबंधन और संचालन करता है।

सीआईटीसीओ के निदेशक मंडल ने इसे यूटी प्रशासन चंडीगढ़ से इकमुश्त सौदा मानते हुए कैंटीन के संचालन की व्यवस्था को मंजूरी दी थी जिसमें होटलों और कैफेटेरिया का स्थानान्तरण भी शामिल था। अधिकारियों के नई दिल्ली में आने पर आवास सुविधाओं की कमी पर विचार करते हुए नई दिल्ली में गेस्ट हाउस के संचालन और प्रबंधन को यूटी प्रशासन के अनुरोध पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, सीआईटीसीओ ने कोई समझौता नहीं किया, यहां तक कि दोनों प्रतिष्ठानों में इस तरह के कार्य करने के लिए नियमों और शर्तों को भी निर्धारित नहीं किया गया। दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस के लिए एक मसौदा समझौते को मई 2016 में सीआईटीसीओ द्वारा यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को कार्यान्वयन के लिए भेजा गया था, जिसे औपचारिक रूप दिया जाना बाकी है (जुलाई 2019)। सीआईटीसीओ ने चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन के संबंध में कोई समझौता नहीं किया। सीआईटीसीओ ने यूटी प्रशासन चंडीगढ़ की ओर से चंडीगढ़ में एक ऐसा ही गेस्ट हाउस संचालित किया, जहाँ खर्चों को उठाने के लिए एक समझौता उपलब्ध था।

सीआईटीसीओ ने ₹8.27 करोड़<sup>12</sup> का निवल व्यय 2004-05 से 2017-18<sup>13</sup> के दौरान चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन चलाने के लिए किया और 2009-10 से 2017-18<sup>13</sup> के दौरान, दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस चलाने के लिए ₹1.52 करोड़ का खर्च किया था। सीआईटीसीओ द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं और घटती लाभप्रदता के मद्देनजर, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ व्यय

<sup>12</sup> व्यय (₹11.71 करोड़) घटना बिक्री से राजस्व (₹3.44 करोड़)

<sup>13</sup> पूर्व अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं।

की प्रतिपूर्ति के लिए फरवरी 2014 में मामला उठाया, लेकिन किसी समझौते और समझ के अभाव में कोई फायदा नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने (फरवरी 1995) कैंटीन में परोसे जाने वाली खाने योग्य चीजों के मूल्यों पर रियायत देने के लिए सीआईटीसीओ को प्रति माह ₹50,000 का अनुदान देने को मान लिया था। हालाँकि, यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने न तो सीआईटीसीओ को प्रति माह ₹50,000 की अनुवृत्ति जारी की और न ही सीआईटीसीओ ने इसके लिए औपचारिक दावा किया, जिसकी राशि मार्च 2018 तक ₹1.38 करोड़ थी।

यूटी प्रशासन के साथ किसी भी समझौते के अभाव में, सीआईटीसीओ द्वारा इन दोनों प्रतिष्ठानों पर मार्च 2018 तक ₹9.79 करोड़ का व्यय, अनियमित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि इन गतिविधियों को 'गैर-वाणिज्यिक आधार पर एक सामाजिक कार्य' के रूप में संचालित किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के साथ खर्चों की प्रतिपूर्ति के मुद्दे का भी समय-समय पर अनुकरण किया गया है। यूटी प्रशासन चंडीगढ़ ने उत्तर दिया (अगस्त 2019) कि चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन चलाने में खर्च की प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 जुलाई 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया कि सीआईटीसीओ और आतिथ्य विभाग, वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो सीआईटीसीओ से अभी तक प्रतीक्षित है।

प्रबंधन का यह तर्क कि गतिविधियों को एक सामाजिक प्रकार्य के रूप में गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीआईटीसीओ को एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था और यूटी प्रशासन के कर्मचारियों को रियायती दरों पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या इसके द्वारा वहां किये गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के बिना दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस चलाना, मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ ने बताया कि चंडीगढ़ में यूटी सचिवालय कैंटीन को संचालित करने के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए सीआईटीसीओ से अनुदान के लिए एक प्रस्ताव मांगा गया है, हालाँकि दिल्ली में यूटी गेस्ट हाउस संचालित करने के लिए होने वाली खर्चों की प्रतिपूर्ति के बारे में उत्तर मौन था।

संघ शासित क्षेत्र - दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन

15.8 विवरणी फाईल करने में विलम्ब

वैट विभाग दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) तथा दमन एवं दीव (डीडी) ने विक्रेताओं की विवरणी का समय पर फाईल किए जाने की निगरानी नहीं की थी जिसका परिणाम विक्रेताओं द्वारा विवरणी को समय पर फाईल न किए जाने हेतु ₹1.14 करोड़ के दण्ड का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

डीएनएच तथा डीडी वैट नियमावली 2005 के नियम 26 के अनुसार, एक विक्रेता, जिसका कारोबार पिछले वर्ष में ₹पांच करोड़ से अधिक होता है तो वह मासिक विवरणी फाईल करेगा। इसके अतिरिक्त, डीएनएच तथा डीडी वैट विनियमों की धारा 86(8) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और वे निर्धारित तिथि तक कोई भी विवरणी प्रस्तुत करने में विफल होता है तो ऐसा व्यक्ति, दण्ड के माध्यम से प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, उसके लिए एक सौ रुपये अथवा दस हजार रुपये, जो भी कम है, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई-अगस्त 2018) कि वैट विभाग डीएनएच तथा डीडी के 139 विक्रेता (2015-16) तथा 179 विक्रेता (2016-17) जिनका कुल कारोबार (टीटीओ) ₹5.02 करोड़ से ₹464.31 करोड़ के बीच था, इन्होंने मासिक के बजाय तिमाही विवरणी फाईल की थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने विवरणी फाईल करने में विलम्ब हेतु दण्ड का उद्ग्रहण नहीं किया था जिसका परिणाम ₹1.14 करोड़ की सीमा तक राजस्व की हानि में हुआ।

वैट विभाग, डीएनएच तथा डीडी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि चूककर्ताओं को देर से रिटर्न भरने के लिए दंड की वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किये गये हैं तथा लेखापरीक्षा को दण्ड की वसूली की सूचना दी जाएगी (अक्टूबर 2019)।

वैट डीडी ने सात विक्रेताओं से ₹2.06 लाख की वसूली की है तथा आश्वासन दिया है कि शेष विक्रेताओं से जुर्माने की वसूली मार्च 2020 के अंत तक अंतिम मूल्यांकन में समायोजित की जाएगी (अक्टूबर 2019)।

## 15.9 ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट के गैर/कम वापसी के कारण अधिक वापसी

वैट विभाग दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) ने मैसर्स टाईम टेक्नो प्लास्ट लि. के मामले में 2013-14 की कर अवधि हेतु ₹23 लाख के ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर (बीएसटी) पर टैक्स क्रेडिट का वापसी नहीं दिया था तथा मैसर्स केईआई इंडस्ट्रीज लि. के मामले में 2012-13 से 2015-16 तक की कर अवधियों के लिए ₹13 लाख के बीएसटी पर कम क्रेडिट का वापसी किया जिसका परिणाम ₹36 लाख के अधिक टैक्स क्रेडिट वापसी में हुआ।

डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 9(6) के अनुसार, जहाँ एक विक्रेता ने माल (पूँजीगत माल के अलावा) खरीदा है जिसके लिए टैक्स क्रेडिट उठाता है तथा खरीदा गया माल अथवा खरीदे गए ऐसे माल से उत्पादित सामान को दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएच) से निर्यात करता है, यह स्थानांतरण (i) प्रेषित माल एजेंट जो डीएनएच में नहीं रहता है तथा ऐसा अंतरण डीएनएच में बिक्री के माध्यम से संबंधित नहीं है; अथवा (ii) विक्रेता की शाखा जब ऐसी शाखा डीएनएच के बाहर स्थित है तथा ऐसा अंतरण डीएनएच में बिक्री से संबंधित नहीं है, तो टैक्स क्रेडिट की राशि को ऐसी प्रतिशतता तक कम किया जाएगा जैसा निर्धारित हो।

डीएनएच वैट के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (जुलाई 2018), नीचे चर्चा किए गए दो विक्रेताओं के मामले में टैक्स क्रेडिट की वापसी/कम वापसी नहीं बनती थी:-

### मामला-1

#### ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं किया जाना

डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने अपूर्ण अथवा गलत विवरणी प्रस्तुत की है; तो आयुक्त लिखित में दर्ज कारणों से किसी भी कर अवधि अथवा कर अवधियों हेतु देय शुद्ध कर की राशि को अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारित अथवा पुनः निर्धारित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2018) कि विक्रेता<sup>14</sup> ने 2013-14 के दौरान स्थानीय खरीदों में से ₹22.15 करोड़ का अंतर्राज्य ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर (बीएसटी) किया था, जिसके लिए विक्रेता ने विवरणी फाईल करते समय

<sup>14</sup> मैसर्स टाईम टेक्नो प्लास्ट लिमिटेड



₹23.00 लाख के टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं की थी जैसा नीचे तालिका सं. 1 में वर्णित है:-

तालिका सं. 1: टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं करने का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर अवधि	अंतर्राज्य ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर	सकल कारोबार (जीटीओ) बिक्री	प्राप्त किया गया कुल क्रेडिट	वापसी किया जाने वाला क्रेडिट
2013-14	22.15	175.71	1.82	0.23 <sup>15</sup>

इस प्रकार, विक्रेता द्वारा टैक्स क्रेडिट वापसी की असफलता का परिणाम 2013-14 की अवधि के लिए ₹23 लाख के वैट के कम उद्ग्रहण में हुआ जो डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 42 (2) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की दर के अनुसार ₹14 लाख<sup>16</sup> के ब्याज के उद्ग्रहण को भी आकर्षित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 2018 में अभ्युक्ति की गई थी परंतु दिसम्बर 2018 में 2013-14 की अवधि का निर्धारण करते समय वैट विभाग, डीएनएच ने टैक्स क्रेडिट की वापसी नहीं की थी।

वैट विभाग को डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32(1) के तहत पुनः निर्धारण करना चाहिए तथा वापसी नहीं किये गये कर को उपार्जित ब्याज सहित वसूलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

**मामला- II**

**ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर पर टैक्स क्रेडिट की कम वापसी**

वैट आयुक्त, डीएनएच के अधीन मैसर्स केडआई इंडस्ट्रीज लिमि. ने फार्म-एफ के माध्यम से डीएनएच के बाहर अपने शाखा डिपो को माल स्थानांतरण किया तथा अपने सकल बिक्री कारोबार (जीटीओ) में डिपो की बिक्री को दर्शाया। इस प्रकार, अपने जीटीओ में डिपो की बिक्री के गलत समावेश के कारण डीएनएच वैट ने 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की अवधियों के लिए ₹13 लाख के टैक्स क्रेडिट की कम वापसी की जैसा नीचे तालिका सं. 2 में दिया गया है:

<sup>15</sup> (₹ 22.15 करोड़/₹175.71 करोड़) x ₹ 1.82 करोड़

<sup>16</sup> 2013-14 से मार्च 2018 तक चार वर्षों की अवधि हेतु ₹0.14 करोड़

## तालिका सं.: 2 टैक्स क्रेडिट की कम वापसी का विवरण

(₹ करोड़ में)

कर अवधि	अंतर्राज्य स्टॉक ट्रांसफर	डिपो की बिक्री सहित सकल बिक्री करोबार (जीटीओ)	डिपो की बिक्री	टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया	वापसी किए जाने वाला टैक्स क्रेडिट	वास्तव में वापसी किया गया कर	अंतर
2012-13	38.23	597.78	23.97	1.94	0.13 <sup>17</sup>	0.07	0.06
2013-14	66.42	635.64	44.74	1.80	0.20	0.19	0.01
2014-15	119.43	752.75	73.67	1.83	0.32	0.29	0.03
2015-16	198.57	820.54	50.27	1.82	0.47	0.44	0.03
<b>कुल</b>					<b>1.12</b>	<b>0.99</b>	<b>0.13</b>

इस प्रकार, जीटीओ में डिपो की बिक्री के अनियमित समावेश का परिणाम ₹13 लाख के टैक्स क्रेडिट की अधिक वापसी में हुआ जो विनियम 2005 की धारा 42(2) के तहत मार्च 2018 तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ₹7 लाख<sup>18</sup> के ब्याज को आकर्षित करती है।

वैट विभाग, डीएनएच ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा डीएनएच वैट विनियम 2005 की धारा 32 के तहत गलत निर्धारण को नोटिस जारी किया (मई 2019)।

## 15.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी

वैट विभाग दमन एवं दीव (डीडी) ने दो विक्रेताओं को निर्माण गतिविधि हेतु ₹30.13 लाख का अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, वैट विभाग ने ₹6.78 लाख के ब्याज सहित अस्वीकार्य आईटीसी की वसूली की।

दमन एवं दीव मूल्य वृद्धि कर (डीडीवैट) विनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार, एक विक्रेता कर अवधि के दौरान की गई खरीद के कारोबार के संबंध में टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा। तथापि एक व्यक्ति द्वारा सामान की खरीद हेतु कोई टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा, जिसका उस व्यक्ति द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित एक बिल्डिंग की संरचना के लिए उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(2) के नीचे स्पष्टीकरण

<sup>17</sup> (₹38.23 करोड़/₹573.81 करोड़) x ₹1.94 करोड़.

<sup>18</sup> 2012-13 हेतु ₹4.5 लाख, 2013-14 हेतु ₹0.6 लाख, 2014-15 हेतु ₹1.35 लाख तथा 2015-16 हेतु ₹0.9 लाख

अनुबंध करता है कि टैक्स क्रेडिट उन सामान तथा बिल्डिंग सामग्री के संबंध में अनुमत होगा जिसे एक व्यक्ति द्वारा बिना परिवर्तन के पुनः बेचने अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहित एक बिल्डिंग के संबंध में एक निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन हेतु खरीदा गया है। इस प्रकार, फैक्टरी द्वारा स्वामित्व वाली फैक्टरी बिल्डिंग अथवा शैड के निर्माण पर टैक्स क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2018) कि वैट विभाग, दमन ने दो विक्रेताओं के मामले में निर्माण गतिविधि के लिए ₹30.13 लाख के आईटीसी की वापसी की (सितम्बर 2016) जैसा नीचे तालिका सं. 3 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका सं. 3: अस्वीकार्य आईटीसी तथा वापसी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विक्रेता का नाम एवं टिन सं.	टैक्स क्रेडिट की अवधि	अस्वीकार्य आईटीसी तथा वापसी	अभ्युक्तियां
1.	मैसर्स फ्लेयर राईटिंग इंस्ट्रूमेंट 25000007033	2014-15	26.64	स्टार बिल्डकॉन, दमन द्वारा कचीगम में दो फैक्टरी बिल्डिंग का निर्माण
2.	मैसर्स हर्टज कैमिक्लस प्राइवेट लिमि. 25000003675	2015-16	3.49	एम.बी. डेवलपर्स दमन द्वारा फैक्टरी बिल्डिंग हेतु विभिन्न निर्माण कार्य
कुल			30.13	

इसका परिणाम ₹30.13 लाख की सीमा तक अधिक टैक्स क्रेडिट प्रदान करने में हुआ।

वैट विभाग, दमन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा ब्याज सहित ₹36.91 के अस्वीकार्य आईटीसी की वसूली की (अप्रैल-जून 2018)।

#### संघ शासित क्षेत्र - लक्षद्वीप प्रशासन

##### 15.11 सरकारी धन को बचत बैंक खाते में रखना

बंदरगाह, नौ परिवहन एवं विमानन निदेशालय, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप (यूटीएल) ने प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में ₹29.18 करोड़ की राशि को सरकारी खाते में प्रेषित किए बिना इसको अपने एसबी खाते में रखा था जिससे इष्टतम निराशाजनक नकद प्रबंधन हुआ।

आर एण्ड पी नियमावली का नियम 100 (2) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि भुगतान करने हेतु बिलों का आहरण तभी किया जाना

चाहिए जब वह अपेक्षित हो तथा पुर्वानुमान में किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए तथा सरकारी खाते के बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई), एक लोक क्षेत्र उपक्रम ने संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएल) से अपने जलयानों को चलाने, मैनिंग कार्मिक आवश्यकता तथा अनुरक्षण हेतु 2009-10 में ₹72.24 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था। इसी प्रकार, यूटीएल प्रशासन के भूमि अधिग्रहण समाहरणालय (एलएसी) ने अगाती द्वीप के मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए मई 2009 में ₹5.75 करोड़ तथा मार्च 2014 में ₹14 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था। यह धनराशियां उनके पास अप्रयुक्त पड़ी थीं जिसे सीएजी द्वारा 2016 के अपने अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 में सूचित किया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) को उपचारी कार्रवाई टिप्पणी प्रेषित करते समय गृह मंत्रालय (मार्च 2017) ने भूमि अधिग्रहण के मामले में पीएसी को आश्वासन दिया कि राशि को वापस प्राप्त करने तथा इसे सरकारी खाते में प्रेषित करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि अधिग्रहण समाहरणालय, अगाती ने हालांकि विभाग के बचत बैंक खाते में ₹19.75 करोड़ की राशि वापस की थी (जुलाई 2017) जिसे अग्रिम धन जमा (इएमडी) प्राप्त करने के उद्देश्य से खोला गया था। इसी प्रकार, एससीआई ने भी विभाग के बचत बैंक खाते में केवल ₹9.43<sup>19</sup> करोड़ की राशि लौटाई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि एससीआई द्वारा वापिस की गई ₹9.43 करोड़ की शेष राशि को अगस्त 2019 में सरकारी खाते में प्रेषित कर दिया गया था। आगे यह बताया गया कि चूंकि अगाती हवाई अड्डे के विस्तार के मामले को जोरों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने इस तर्क पर कि भूमि अधिग्रहण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किया जाएगा तथा निधियों का जल्द ही उपयोग किया जाएगा, सरकारी खाते में इस निधि को जमा नहीं करने का निर्णय लिया था।

यद्यपि, विभाग द्वारा ₹9.43 करोड़ (एससीआई द्वारा वापिस किया गया) की राशि को केवल अगस्त 2019 में सरकारी खाते में प्रेषित किया गया था, फिर भी ₹19.75 करोड़ (एलएसी द्वारा वापिस किया गया) की शेष राशि को अभी भी सरकारी खाते में प्रेषित किया जाना है।

<sup>19</sup> 17.03.2016 को ₹दो करोड़, 10.05.2016 को ₹दो करोड़, 07.07.2016 को ₹दो करोड़, 02.08.2016 को ₹दो करोड़ तथा 09.06.2017 को ₹1.43 करोड़

इस प्रकार, ₹29.18 करोड़ की राशि को आरएण्डपी के प्रावधानों के उल्लंघन तथा पीएसी को मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के उल्लंघन में दो वर्षों से अधिक समय के लिए अनियमित रूप से सरकारी खाते के बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, धन का अनावश्यक अवधारण, सरकार के उधार लेने की लागत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जिसे 2016-17 से अगस्त 2019 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार की उच्चतम उधार दर पर रखे गए सरकारी धन पर ब्याज के कारण ₹5.43 करोड़ पर परिकलित किया गया है।

मामला अगस्त 2018 में गृह मंत्रालय को सूचित किया था; इसका उत्तर मई 2020 तक प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली  
दिनांक: 16 जुलाई 2020



(सुनील दाडे)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 23 जुलाई 2020



(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक